

नियम 123 : स्थायी समिति और छानबीन समिति का गठन

- (1) परिषद्, राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट, ऐसे अधिकारियों से मिलकर मुनाफाखोरी रोधी स्थायी समिति का गठन कर सकेगा।
 - (2) राज्य स्तरीय छानबीन समिति राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक राज्य में गठित की जाएंगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—
 - (क) आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया गया, राज्य सरकार का कोई अधिकारी; और
 - (ख) मुख्य आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया गया, केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी।
-